

प्रेषक,

सचिव,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 मण्डल आयुक्त
गढ़वाल / कुमाऊँ
उत्तराखण्ड | 2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड। |
| 3 मुख्य नगर अधिकारी / अधिशासी अधिकारी,
समस्त नगर निगम / नगर पालिका
परिषद / नगर पंचायत,
उत्तराखण्ड। | |

देहरादून: दिनांक 26 सितम्बर, 2014

विषय:- "दिनांक 02 से 24 अक्टूबर, 2014 तक स्वच्छ भारत अभियान के आयोजन के संबंध में।"

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री जी द्वारा 15 अगस्त 2014 को देश के 68वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिये गये भाषण में देश भर मे स्वच्छता व सफाई प्रबन्धन लागू किये जाने को सरकार की प्राथमिकताओं में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है। इस हेतु सरकारी संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं व समुदायों के लोगों के बीच स्वच्छ भारत के लक्ष्यों के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जाना है। इस विषय में मुख्य सचिव द्वारा पत्र संख्या-1557 / IV(2)-श0वि0-14-68(सा0) / 14, दिनांक- 26/09/2014 के माध्यम से प्रदेश भर में उपरोक्त जागरूकता अभियान चलाये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। उक्त के अनुपालन में शहरी विकास विभाग द्वारा स्थानीय निकायों के माध्यम से दिनांक 02 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2014 तक स्वच्छ भारत के लक्ष्यों के प्रति लोगों को जागरूक किये जाने हेतु जनजागरूकता अभियान तथा विशेष सफाई अभियान चलाया जाना निर्धारित किया जा रहा है। उक्त के तहत तिथिवार व मदवार कार्यवाहियां किये जाने हेतु रूपरेखा निम्नवत है :-

क्र0सं0	आयोजित की जाने वाली गतिविधि	दिनांक	विशेष सफाई एवं स्वच्छता अभियान की प्रस्तावित कार्यवाही/अपील
1	शपथ ग्रहण दिवस	02अक्टूबर,2014	निकायो के अन्तर्गत कार्यरत समस्त नियमित, तदर्थ, संविदा, दैनिक वेतन भोगी- अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा

			स्वच्छता की प्रतिबद्धता हेतु शपथ ली जाएगी। वार्ड स्तर पर पार्षदों के माध्यम से जन -जन तक शपथ दिलाये जाने हेतु मुख्य नगर अधिकारी / अधिशासी अधिकारी आर०डब्लू०ए० / गैर सरकारी संस्थान व क्षेत्रीय गणमान्य व्यक्तियों से समन्वय स्थापित करेंगे।
2	सड़क एवं गली, पर्वतीय नगरों में नालों, खुले प्लाटों व गधेरों में सफाई हेतु स्वच्छता दिवस	4 व 7 अक्टूबर, 2014	इस अभियान हेतु निकाय स्तर पर तैनात नियमित, तदर्थ, संविदा, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को उपरोक्तानुसार निर्देशित कर नियोजित ढंग से सड़क / गली / खुले प्लाटोवार अभियान चलाया जाय। इस हेतु उपकरणों, मशीनों व वाहनों तथा रसायनों की व्यवस्था पृथक से कर ली जाय। मुख्य मार्ग पर स्थानीय निकाय स्तर से लगाये गये विभिन्न आकार के डस्टबीनों, कूड़े की टेलियों, इस कार्य में उपयोग में लाये जा रहे वाहनों के आंशिक रिपेयर व उनको पेन्ट किये जाने हेतु कार्यवाही की जाय।
3.	स्कूल एवं कॉलेज स्वच्छता दिवस	09 अक्टूबर, 2014	सर्वप्रथम स्कूलों व कॉलेजों के प्रबन्धकों व प्रधानाचार्यों से समन्वय कर सफाई हेतु रूप रेखा तैयार कर ली जाय। निर्धारित तिथि पर स्थानीय निकाय स्तर से भी उपलब्ध मानव संसाधनों व मशीनों/रसायनों का सहयोग प्रदान कर प्रभावी अभियान चलाया जाय।
4.	अस्पताल स्वच्छता दिवस	10 अक्टूबर, 2014	शासकीय अस्पतालों व प्राईवेट अस्पतालों व क्लीनिक आदि के

			चिकित्सकों से समन्वय कर उनके परिसर में विशेष सफाई अभियान क्रियान्वित कराया जाय। विशेष रूप से बायोमेडिकल वेर्स्ट के निस्तारण हेतु निर्धारित व्यवस्थानुसार कार्यवाही करायी जाय तथा यथा आवश्यकता स्थानीय निकाय से भी संसाधनों हेतु सहयोग प्रदान किया जाय।
5.	सार्वजनिक शौचालय स्वच्छता दिवस	13 व 14 अक्टूबर, 2014	इस कार्य हेतु वर्तमान में संचालन कर रही संस्थाओं से समन्वय कर विशेष सफाई अभियान चलाया जाय। इस कार्य की स्थानीय निकाय स्तर से निगरानी करते हुए यथा आवश्यकता उपकरण व रसायन तथा विशेष परिस्थितियों में कर्मचारी लगाकर इसे साफ कराया जाय।
6.	सरकारी/गैर सरकारी संस्थान स्वच्छता दिवस	15 व 16 अक्टूबर, 2014	नगरीय क्षेत्र में स्थित सभी सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों से समन्वय कर इनके परिसर की सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय। इस कार्य का स्थानीय निकाय द्वारा अनुश्रवण कर यथा आवश्यकता मानव संसाधन व रसायनों के उपयोग हेतु सहयोग प्रदान किया जाय। 15 अक्टूबर को हैण्ड वाश डे मनाया जायेगा, जिसमें सभी स्कूलों के बच्चों को व्यक्तिगत स्वच्छता के विषय में जानकारी दी जायेगी।
7.	स्टॉल/होटल/रेस्टोरेन्ट/बेकरी आदि स्वच्छता दिवस	17 व 18 अक्टूबर, 2014	इन व्यवसायिक संस्थानों के स्वामियों से समन्वय कर इनके परिसर की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय। इस हेतु खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत मुख्य

			चिकित्साधिकारी से समन्वय कर इस कार्य को नियोजित ढंग से कराया जाय।
8.	स्लम स्वच्छता दिवस	20 व 21 अक्टूबर, 2014	नगर के सभी मलिन बस्तियों को सूचीबद्ध कर स्थानीय निकाय स्तर पर उपलब्ध सभी प्रकार के सफाई कर्मचारियों को इन दिवसों में विशेष रूप से तैनात कर इन बस्तियों की विशेष सफाई व्यवस्था करायी जाय।

निर्देश:-

- 1- प्रत्येक निकाय जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी तथा परियोजना प्रबन्धक स्वजल से समन्वय स्थापित कर उनके सहयोग व मार्ग-दर्शन से अपनी कार्ययोजना पृथक रूप से तैयार करेंगे तथा इसकी एक प्रति निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे।
- 2- उपरोक्त विशेष सफाई अभियान हेतु विभिन्न तैयारियां व कार्यवाहियां तथा सामग्रियों को क्रय किये जाने की कार्यवाही तत्काल ही प्रारम्भ कर दी जाय तथा साथ ही विशेष सफाई अभियान भी तत्काल प्रारम्भ कर दी जाय।
- 3- स्थानीय निकाय स्तर पर उपलब्ध समस्त कर्मचारियों में से औसतन आधे कर्मचारियों को अपना सामान्य कार्य क्षेत्रवार, समुचित रूप से अनुश्रवण करते हुए सफाई कार्य कराये जाने की कार्यवाही की जाय। अवशेष आधे कर्मचारियों को उपरोक्तानुसार नियोजित ढंग से दिनांकवार, क्षेत्रवार योजित करते हुए विशेष सफाई अभियान को सफल बनाया जाय।
- 4- स्थानीय निकाय के अपने दायित्वों के अतिरिक्त अन्य परिसरों जैसे:- स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, संस्थानों आदि के विभागाध्यक्षों से समन्वय कर उनके स्तर पर उपलब्ध संसाधनों से सफाई व्यवस्था कराये जाने हेतु कार्यवाही की जाय। विशेष परिस्थितियों में ही स्थानीय निकाय के मानव, मशीन, उपकरण, रसायन आदि संसाधनों के सहयोग से नगरीय सफाई व्यवस्था हेतु सहयोग प्रदान किया जाय। इस हेतु विशेष रूप से अपेक्षित है कि स्थानीय निकाय स्तर से इस कार्य में लगाये गये सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु दस्ताने, गम्बूट, मार्स्क आदि की व्यवस्था भी सुनिश्चित कर ली जाय।
- 5- उपरोक्त कार्यवाही हेतु जिले के जिलाधिकारी से मार्ग दर्शन प्राप्त कर, उनके निर्देशानुसार मुख्य विकास अधिकारी से समन्वय कर स्वजल परियोजना के अन्तर्गत उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के उपयोग हेतु भी कार्यवाही की जा सकती है।

दिनांक 25-09-2014 को मुख्य सचिव महोदय द्वारा जिलों से की गई विडियों कान्फ्रेसिंग के अन्तर्गत परियोजना निदेशक, स्वजल द्वारा जिलावार सहयोग प्रदान किये जाने हेतु सहमति दी गई है।

- 6- उपरोक्त विशेष सफाई अभियान को चरणवार पूर्ण कर स्थानीय निकाय क्षेत्र को लाभान्वित किये जाने हेतु क्रियान्वित कराया जाय तथा यथा सम्भव भवनों, सड़कों, कार्यालयों, संस्थानों में किये गये विशेष सफाई व्यवस्था के मात्राकरण की भी कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। इस हेतु तिथिवार कितने कर्मचारी व संसाधन लगाये गये, को भी सूचीबद्ध कर लिया जाय तथा प्रति मिट्रिक टन नगरीय कूड़े का घनत्व 400 किलो ग्राम मानते हुए कूड़े का भी मात्राकरण कर लिया जाना उचित होगा।
- 7- उपरोक्त सफाई एवं स्वच्छता अभियान को सफल बनाये जाने हेतु नगर के समस्त नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, बच्चों आदि का विशेष सहयोग लिये जाने हेतु, स्थानीय निकाय के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा विशेष प्रयास किये जायें। इस हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार, पोस्टर/बैनर, गोष्ठियां, बैठकें, प्रतियोगिताओं, नुककड़ नाटक एवं नाट्य प्रतियोगिताओं आदि के संचालन किये जाने हेतु भी विशेष प्रयास अपेक्षित है।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए प्रगति से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डी०एस० गव्याल)

सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-मा० मेयर/अध्यक्ष, नगर निगम/पालिका परिषद/पंचायत को इस आशय से प्रेषित, कि वे उक्त स्वच्छता अभियान में बहुमूल्य सहयोग प्रदान करते हुए अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान से जोड़ने हेतु अपने स्तर से कार्यवाही करने व अधीनस्थ अधिकारियों का मार्ग-दर्शन करने का कष्ट करें।
- 2-निदेशक, शहरी विकास निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि वे प्रदेश के समस्त निकाय स्तर पर उपरोक्त स्वच्छता अभियान के क्रियान्वयन की प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु मॉनिटरिंग सेल का गठन करते हुए प्रगति से अवगत करायेंगे।

(गजेन्द्र सिंह कफलिया)
अनु सचिव।